Investment of Nationalised Banks in Orissa

2193. SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether financial assistance and investment of Nationalised Bank in backward state of Orissa has been proportionately low in comparision with different States; and

(b) what steps Government have taken to augment the investment of banks and other financial institutions to promote the ethos of economic development?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) and (b) No Sir. As at the end of December 1979 the advances of public sector banks in Orissa and their investment in the securities of the State Government and its associate bodies accounted for 91.6 per cent of the deposits mobilised by them in the State. The corresponding all-India ratio was 76.8 per cent. The implementation by banks of programmes to increase the flow of credit to priority sectors and in rural areas in general and to the beneficiaries of the 20 Points Programme in particular is expected to further enlarge credit assistance to productive ventures in Orissa also.

आयकर की बकाया राशि

2194. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयकर दाताओं पर 570 करोड़ रुपये की राशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि वसूल करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट): (क) जी, नहीं ।

बकाया संबंधी आंकड़े प्रत्येक तिमाही के अन्त में संकलित किये जाते हैं । 31 मार्च 1980 को समाप्त हुई तिमाही तक की सूचना उपलब्ध है । उस तारीख तक की स्थिति के अनुसार, बकाया आयकर की रकम निम्नानुसार थी:

(1) बकाया कर	589·66*	करोड़ रु.
(2) जारी की गई परन्तु वसूली के लिये देय नहीं हुई मांग	422·20*	करोड़ रु.

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 में कर की बकाया रकमों की वसूली और उगाही करने के लिए अर्थ दंड लगाना, चूककर्ता का देय रकमों की कुर्की, चल सम्पत्ति का अभिग्रहण और बिक्री, अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री आदि जैसे बहुत से उपायों की व्यवस्था है । प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए संबंधित आयकर प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपाय किये जाते हैं । कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए हाल ही में जो प्रशासनिक उपाय किये गये हैं उनमें से कुछ उपाय विवरण में बताये गये हैं ।

विवरण

कर की बकाया को कम करने और काफी लम्बे समय से बकाया पड़े करों की वसूली के लिए, हाल ही में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) गत वर्ष की तरह ही, आयकर विभाग के चालू वित्तीय वर्ष की 'कार्य योजना' में सर्वोच्च प्राथमिकता कर की बकाया की वसूली को दी गयी है ।

(2) मई 1980 में हुए आयुक्तों के सम्मेलन में, कर की बकाया की समस्या पर व्यापक रूप से विचार किया गया । सम्मेलन के परिणामत: लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं :—

(क) बकाया मांग में 55 प्रतिशत तथा चालू मांग में 85 प्रतिशत की कमी करना ;

(ख) 1979-80 में जारी की गयी मांग की बकाया प्रविष्टियों में 85 प्रतिशत की कमी करना ;

(ग) आयकर की बकाया की वसूली के जटिल मामलों में अलग आयकर अधिकारियों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की समीक्षा की जायगी तथा जहां कहीं भी व्यवहार्य होगा उनकी संख्या बढ़ाई जायगी ।

(3) कर की बकाया की वसूली की प्रगति पर मासिक निगरानी रखी जा रही है । इस संबंध में आंकड़े, आयुक्तों से तार मंगवाए जाते हैं और बोर्ड इस संबंध में उपयुक्त उपचारी कार्यवाई करता है ।

(4) कुछ आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बकाया पड़ी अपीलों के निपटान के लिए अपीलीय तंत्र को सुदृढ़ किया जायगा ।

(5) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में विचाराधीन पड़ी ऐसी अपीलों की एक सूची, प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए वर्ष 1979-80 में वित्त-मंत्रालय के माध्यम से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को भेजी गयी थी जिनमें बकाया की बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त थीं । आयकर आयुक्तों से निवेदन किया गया कि वे न्यायाधिकरण के स्थानीय पीठों के उपाध्यक्षों/सदस्यों के साथ सम्पर्क बनाये रखें । उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलें तथा उच्च मांग वाले अनिर्णीत मामलों के निपटान के लिए शीघ्र ही तिथि निर्धारित करने का निवेदन करें । चालू वित्तीय वर्ष में भी इसी तरह की कार्यवाई करने का निश्चय किया गया है ।

(6) आयकर आयुक्त के ओहदे का एक वसूली निदेशक कर की बकाया की वसूली विशेषत: 10 लाख रुपये और उससे अधिक के बकाया के मामलों में वसूली की प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रहा है । उसके कार्य की प्रगति पर बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है ।

(7) परिसमापनाधीन कम्पनियों की और बकाया पड़ी कर की रकमों की वसूली में तेजी लाने के लिए कम्पनी कार्य विभाग ने बोर्ड के निवेदन पर 1979 में सभी सरकारी परिसमापकों के नाम अनुदेश जारी किया था जिसमें उनसे आयकर प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करने और आयकर अधिकारियों की अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया था । इस संबंध में आयकर अधिकारियों को भी उपयुक्त अनुदेश जारी किए जा चुके हैं ।

(8) जनवरी, 1981 के दूसरे पखवाड़े में एक "कर की बकाया और वापसी निपटान पखवाड़ा" मनाया जाएगा जिसमें कर की बकाया को कम करने पर विशेष जोर दिया जाएगा ।

(9) बढा-चढा कर किये गये कर-निर्धारणों तथा उसके परिणामत: जमा हो गई कर की निरर्थक बकाया का निवारण करने की दृष्टि से, आयकर अधिकारियों को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144क के अधीन किसी निश्चित आय-सीमा से अधिक, एक तरफा कर-निर्धारण पूरा करने से पहले अपने निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा ।

Cash scarcity in branches of SBI in Manipur

2195. SHRI H. N. NANJE GOWDA:
SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to acute cash scarcity, the State Bank of India may have to close many of its Branches in Manipur; and

(b) if so, remedial action proposed to be taken by Government to overcome the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) and (b).